केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
श्रीरणवीरपरिसरः,
कोट-भलवालः, जम्मू 181122
संसदः अधिनियमेन स्थापितः
(प्राक्तनं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः)
भारतसर्वकारशिक्षामन्त्रालयाधीनः

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY
Shri Ranbir Campus,
Kot-Bhalwal, Jammu- 181122
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan
Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India

क्रमांक / No. के.सं.वि.वि.ज/14017/2023-24/ 144

दिनांक / Date.....05/04/2023

जिस किसी से सम्बद्ध

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 15 अक्टूबर, 1970 को समस्त देश में संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) के अधीन पञ्जीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ। कालान्तर में इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के रूप में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक 9-28/2000-U, दिनांक 7 मई, 2002 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया।

इसके पश्चात् विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "भारत का राज" पत्र दिनांक 15-मार्च, 2020 के अनुसार राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को संसद के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में श्री रणवीर परिसर, कोट-भलवाल, जम्मू में स्थित है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा इसके समस्त परिसर पूर्णतः राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित शैक्षिक संस्थाएं हैं, और पूर्ण रूप से भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वित्त पोषित संस्था है। यह संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में प्रतिष्ठित श्री रणवीर परिसर, कोट-भलवाल, जम्मू को किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ के लिए संचालित नहीं (Not for Profit) किया जाता है।

(प्रो.मदन मोहन झा)
निदेशक